

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

पी0डी0 वाद सं0-01/2025-26

रवि किस्कु वगैरह

बनाम

निर्मल टुडू, (ग्राम प्रधान, मौजा-पाडेरकोला, अंचल-अमड़ापाड़ा)

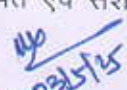
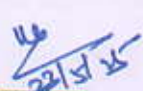
आवेदक के अधिवक्ता-श्री अरुण त्रिवेदी।

विपक्षी के अधिवक्ता- श्री मदन लाल अग्रवाल।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आदेश यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक-41/डी0बी0, दिनांक-21.04.2025 के द्वारा उनके न्यायालय के पी0डी वाद सं0-05/2022-23 (रवि किस्कु वगैरह बनाम निर्मल टुडू, ग्राम प्रधान, मौजा-पाडेरकोला) से संबंधित प्राप्त मूल अभिलेख, जिसमें उनके द्वारा अपने न्यायालय में संस्थित पी0डी वाद सं0-05/2022-23 में सुनवाई उपरांत दिनांक-11.04.2025 को अंतिम आदेश पारित करते हुए अंचल-अमड़ापाड़ा अंतर्गत मौजा-पाडेरकोला के पट्टाधारी ग्राम प्रधान निर्मल टुडू, पिता-स्व0 सोमनाथ टुडू, सा0-पाडेरकोला, थाना व अंचल-अमड़ापाड़ा, जिला-पाकुड़ (झारखण्ड) को मौजा-पाडेरकोला के ग्राम प्रधान के पद से बर्खास्त किये जाने की अनुशंसा कर सम्पूष्टि हेतु उपलब्ध कराये गये मूल अभिलेख के आलोक में संस्थित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उभय पक्षों को सुनवाई हेतु सूचना निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। आवेदकगण की ओर से कुल 28 आवेदकों के द्वारा दिनांक-23.05.2025 को अपने मनोनित अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। विपक्षी ग्राम प्रधान अपने मनोनित अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उनके मनोनित अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया। तदोपरांत उभय पक्षों के द्वारा अपने-अपने मनोनित अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किये गये अंतिम तर्क को सुनकर वर्णित वाद अभिलेख अंतिम आदेश हेतु निर्धारित किया गया। उभय पक्षों के मनोनित अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किये गये अंतिम तर्क को सुना एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा उनके न्यायालय के पी0डी वाद सं0-05/2022-23 में दिनांक-11.04.2025 को पारित आदेश के साथ-साथ निम्न न्यायालय के सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में संस्थित	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के ब टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	वाद में विपक्षी ग्राम प्रधान के विरुद्ध उक्त मौजा के रैयतों के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा से जाँच कराया गया। अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-225/रा0, दिनांक-06.05.2023 के साथ-साथ पत्रांक-319/रा0, दिनांक-18.07.2024 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन निम्न न्यायालय में समर्पित किया गया है, जो बिन्दुवार निम्नवत् है :- 1- मौजा-पाडेरकोला के दाग सं0-2289 रकवा-42बी0-00क0-00धूर भूमि सर्वे खतियान में गोचर कहकर दर्ज है। उक्त दाग सं0-2289 गोचर भूमि के अंश रकवा एवं रैयती जमीन पर पोखर है, जो अगन सोरेन के दखल कब्जा में है। उक्त दाग के ही अंश रकवा पर प्रेम मुर्मू, पिता-मेरा मुर्मू, सिरिल मुर्मू, पिता-बेनाजर मुर्मू द्वारा एवं उनके पूर्वजों द्वारा खेतीबाड़ी किया जा रहा है। 2- दाग सं0-1442, रकवा-07बी0-02क0-16धूर "गोचर" भूमि के अंश रकवा पर लगभग 20 वर्ष पुराना पोखर है जिसका उपयोग श्यामलाल कोल, पिता-चुड़का कोल के द्वारा किया जाता है। 3- दाग सं0-2383, रकवा-17बी0-16क0-19धूर "गोचर" भूमि के आंशिक रकवा पर सायनेल मरांडी, पिता-स्व० बोनेसल मरांडी एवं बाबुधन मरांडी, पिता-भेला मरांडी के द्वारा खेतीबाड़ी किया जा रहा है। 4- दाग सं0-2231, रकवा-04बी0-08क0-09धूर "गोचर" भूमि के आंशिक रकवा पर कुशल मरांडी, पिता-जेठा मरांडी, सुनीराम मरांडी, पिता-कुशल मरांडी के द्वारा खेतीबाड़ी किया जा रहा है। 5- मौजा-पाडेरकोला के दाग सं0-853 अन्तर्गत रकवा-08बी0-11क0-04धूर "पुरातन पतीत" भूमि के आंशिक रकवा-00बी0-03क0-00धूर भूमि मो० खलीलुर रहमान, ग्राम-बड़ा सरसा, लिट्टीपाड़ा को प्रधान के द्वारा बन्दोबस्ती किया गया है एवं बैजनाथ ठाकुर, ग्राम-तारापुर, अंचल-हिरणपुर को ग्राम सभा के माध्यम से बसाया गया है। उपरोक्त दोनों व्यक्ति मौजा-पाडेरकोला के जमाबन्दी रैयत नहीं है। 6- दाग सं0-853, रकवा-08बी0-11क0-04धूर पुरातन पतीत भूमि के आंशिक रकवा-00बी0-03क0-00धूर भूमि किष्टु टुडू सा०-पाडेरकोला के साथ ग्राम प्रधान द्वारा बन्दोवस्त किया गया है। जिस पर किष्टु टुडू के द्वारा मकान बनाया गया है, जिसमें वनांचल ग्रामीण बैंक चल रहा है, जिसका भाड़ा किष्टु टुडू के द्वारा वसूल किया जाता है। निर्मल टुडू (विपक्षी) द्वारा इसी दाग के अंश रकवा पर भवन निर्माण हेतु नीव डाला गया था, जिसे वर्तमान में हटा लिया गया है। 7- दाग सं0-1082, रकवा-01बी0-09क0-01धूर सर्वे खतियान में "बाजार" कहकर दर्ज है, जिसके आंशिक रकवा पर शम्भूनाथ राउत, ग्राम-तारापुर, अंचल-हिरणपुर एवं दाग सं0-1084 किस्म "बाजार" के अंश रकवा पर उमाकान्त उपाध्याय, सा०-भागलपुर, वर्तमान पत्ता-बासमती, अंचल अडापाड़ा के द्वारा अस्थायी क्लिनिक खोला गया है। 8- दाग सं0-1082 किस्म "बाजार" के अंश रकवा पर गैर जमाबन्दी रैयत श्रीनाथ पहाड़िया के द्वारा अस्थायी झोपड़ी बनाया गया है।	

आदेश की प्रत आदेश और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	9- दाग सं0-2434, रकवा-04बी0-11क0-07 धूर किस्म "रास्ता" की भूमि के अंश रकवा पर मोहन मरांडी के द्वारा घर बनाया गया है। 10- निर्मल टुडू (इस वाद के विपक्षी) द्वारा जमाबन्दी सं0-31 के रैयत श्रीनाथ सोरेन से चार वर्षों का बकाया लगान 17600/- रुपये लिया गया है। निर्मल टुडू प्रधान द्वारा अपने कर्तव्य एवं अधिकार का दुरुपयोग किया गया है। गांव पाडेरकोला के दाग सं0-2289, 1442, 2383 एवं 2231 की भूमि जो सर्वे खतियान में गोचर भूमि उल्लेखित है, उक्त भूमि के आंशिक हिस्से कई व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर तालाब एवं खेत बना कर उपभोग किया जा रहा है। गोचर भूमि के अवैध दखल कब्जा को हटाने के संबंध में विपक्षी (ग्राम प्रधान) के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई वर्षों तक नहीं की गयी ओर ना ही उनके द्वारा अवैध दखलकारों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कोई सूचना अपने उच्चाधिकारियों को ही दिया गया। विपक्षी ग्राम प्रधान के द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में निम्न न्यायालय में दाखिल किये गये जवाब में उनके द्वारा अनभिज्ञ रहने की बात बतायी गयी, परन्तु अनभिज्ञ रहने संबंधी ना तो उनके द्वारा निम्न न्यायालय में कोई ठोस/तार्किक जवाब दिया गया ओर ना ही वर्णित वाद में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष ही। गांव की सार्वजनिक उपयोग की गोचर भूमि, रास्ता की भूमि की देख-भाल किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित ग्राम प्रधान की होती है। ऐसे में उनके मौजा अंतर्गत कराये गये जाँच के फलस्वरूप कई मामले सामने आये, जिसमें गोचर भूमि पर अवैध दखल करना, किस्म रास्ता की भूमि पर घर बनाना, साथ ही साथ पुरातन पतित भूमि की बंदोबस्ती उक्त मौजा के रैयतों के साथ ना कर अन्य अंचल के रैयतों के साथ करना, अन्य राज्य के निवासी के द्वारा सर्वे खतियान में अंकित बाजार की भूमि पर व्यवसाय करना एवं इन सभी मामलों के संबंध में विपक्षी ग्राम प्रधान के द्वारा अपने सफाई में यह कहा जाना कि उन्हें इन सभी बातों की जानकारी नहीं थी एवं वे इनसे अनभिज्ञ थे, जो स्वीकार्य योग्य नहीं है। प्रतीत होता है कि विपक्षी ग्राम प्रधान के सहमति से ही किस्म गोचर, रास्ता, पुरातन पतित एवं बाजार की भूमि पर दखलकारों के द्वारा अवैध दखल-कब्जा किया गया है। साथ ही साथ विपक्षी ग्राम प्रधान के द्वारा जमाबंदी सं0-31 के रैयत से निर्धारित लगान से कई गुणा अत्याधिक राशि की वसूली लगान भुगतान के क्रम में की गयी है। संधाल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 की धारा-29, जिसमें वर्णित है कि A mulraiyyat, pradhan or village headman shall not settle any waste land or vacant holding with himself or any co-mulraiyyat without the previous sanction in writing of the Deputy Commissioner. का बगैर अनुपालन किये दाग सं0-853 के अंतर्गत रकवा 03क0 भूमि अपने चचेरे भाई किष्टु टुडू को बंदोबस्त किया गया एवं	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र कार्रवाई के टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	उक्त बंदोबस्त भूमि पर किष्टु टुडू के द्वारा मकान निर्माण कर किराया पर दिया गया है। ग्राम प्रधान के पदच्युत करने के संबंध में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 के अनुपूरक अधिनियम-1950 के Schedule -V की धारा-2 एवं 3 में वर्णित है कि On account of any proved fraud, violence, contempt of Court or other grave misconduct or of such oppressive or inconsiderate treatment of the raiyats or gross neglect of their interest as may be considered to unfit him for the post. For destroying, damaging or failing to guard the common property and recorded rights of the village, or for collecting from raiyats in excess of the settlement of the settlement rates. ग्राम प्रधान को दिये जाने वाले प्रधानी पट्टा, जो संथाल परगना काश्तकारी अनुपूरक अधिनियम-1950 के Schedule -III के अंतर्गत दी जाती है। उक्त पट्टा के कंडिका-4 एवं 7 में ग्राम प्रधान के कर्तव्य का स्पष्ट उल्लेख होता है एवं इन कर्तव्यों को पूर्णरूपेण अनुपालन किये जाने हेतु ग्राम प्रधान के द्वारा Schedule -IV के अनुसार काबुलियत दाखिल की जाती है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा अपने कर्तव्य का भलि-भौति निष्ठा पूर्वक निर्वहन करने में अपनी सहमति दी जाती है एवं उक्त सहमति के आधार पर ही ग्राम प्रधान को प्रधानी पट्टा देकर सम्मानित किया जाता है। स्पष्ट है कि वर्णित वाद के विपक्षी ग्राम प्रधान को अपने दायित्व एवं कर्तव्य का स्पष्ट जानकारी रहते हुए उनके द्वारा अपने दायित्व एवं कर्तव्यों के प्रतिकूल कार्य किया गया है एवं इस आधार पर ही विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा अपने न्यायालय के पी0डी वाद सं0-05/2022-23 में सुनवाई उपरांत दिनांक-11.04.2025 को आदेश पारित कर विपक्षी ग्राम प्रधान को मौजा-पाडेरकोला के ग्राम प्रधान से पदच्युत किये जाने की अनुशंसा की गयी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ से विपक्षी ग्राम प्रधान को मौजा-पाडेरकोला के ग्राम प्रधान के पद से पदच्युत (बर्खास्त) करने संबंधी प्राप्त अनुशंसा को सम्पूर्ण करते हुए विपक्षी निर्मल टुडू, पिता-स्व0 सोमनाथ टुडू, सा0-पाडेरकोला, थाना व अंचल-अमड़ापाड़ा, जिला-पाकुड़ (झारखण्ड) को मौजा-पाडेरकोला के ग्राम प्रधान के पद से पदच्युत (बर्खास्त) किया जाता है। आदेश उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को अवलोकन कराये तथा आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को भेजते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। लेखापित एवं संशोधित।  उपायुक्त, पाकुड़।  उपायुक्त, पाकुड़।	